



कायालय प्राचाय, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
शंकर नगर रायपुर, (छ0ग0) पिनकोड-492007

- 0771-2443796, FAX - 0771-2443796, Website- www.cteraipur.org e-mail id - ctechhattisgarh@gmail.com

NAAC Accredited Institute With B⁺⁺

आदेश क./बी.एड./विभागीय(चयन)/नियमित/2017-19/471, रायपुर दिनांक 04.08.2017

--: आदेश ::--

संचालक छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के पत्र क्र. /शिक्षक-शिक्षा/30-1 बी.एड./एम.एड/प्रवेश/विभागीय /20/2017/2026 दिनांक 20.03.2017 के आधार पर चयन समिति के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का चयन बी.एड. सत्र 2017-19 के लिए किया जाता है। चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है :-

स्कूल शिक्षा विभाग - व्याख्याता संवर्ग कोटा :-

क	नाम	पिता/ पति का नाम	पद	विभाग	वरिष्ठता दिनांक/ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ज्योति धृतलहरे	श्री प्रहलाद धृतलहरे	व्याख्याता पंचायत	पंचायत	11-07-2008	शा.उ.मा.वि.- अमरा वि.खं.- पलारी जिला- बलौदा बाजार छ0ग0
2	मंजू लता प्रजापति	श्री अजय प्रसाद रनघाटी	व्याख्याता पंचायत	पंचायत	11-07-2008	शा.उ.मा.वि.- बगोडार, वि.खं. एवं जिला- कांकेर छ0ग0

आदिम जाति कल्याण विभाग - प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक/उच्च वर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक प्रायमरी/सहायक शिक्षक संवर्ग कोटा :-

क	नाम	पिता/ पति का नाम	पद	विभाग	वरिष्ठता दिनांक/ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उमेश कुमार सोनवानी	श्री रतिराम सोनवानी	व्याख्याता पंचायत	पंचायत	12-07-2008	शा.उ.मा.वि.- हल्बा वि.खं.- चारामा, जिला- कांकेर छ0ग0
2	महेश्वर कुमार साहू	श्री लोकनाथ साहू	व्याख्याता पंचायत	पंचायत	12-07-2008	शा.उ.मा.वि.- पंडरीपानी, वि.खं.- चारामा, जिला- कांकेर छ0ग0
3	श्रवण कुमार	श्री सियाराम	व्याख्याता पंचायत	पंचायत	14-07-2008	शा.उ.मा.वि.- भोरिंग, वि.खं. एवं जिला- महासमुंद छ0ग0

समस्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं उनकी एक सत्य प्रतिलिपि के साथ दिनांक 16.08.2017 तक शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में निर्धारित शुल्क सहित प्रवेश लेवें अन्यथा आपका चयन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

- वर्तमान पद का (जिस पद से आवेदन किया है), पदोन्नति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण प्रतिलेखन।
- जन्मतिथि के प्रमाण हेतु अंकसूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंकसूची।
- स्थायी जाति प्रमाणपत्र/सेवा पुस्तिका के कर्मचारी विवरण पृष्ठ की संस्था प्रमुख से सत्यापित छायाप्रति जिसमें जाति प्रमाणित हो। (यह अभिलेख ओ.बी.सी. वर्ग के लिए मान्य नहीं होगा।) ओ.बी.सी. हेतु शासकीय नियमानुसार केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।